प्रेस नोट संख्या- 21

दिनांक 06.04.2024

सराहनीय कार्य थाना मुंशीगंज एवं स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी

चोरी का खुलासा, चोरी के 40 अदद पाइप (कीमत लगभग 10 लाख रुपये), 02 तमंचा 04 जिन्दा कारतूस, 02 अदद कूट रचित बिल के साथ 05 नफर अभियुक्त गिरफ्तार व घटना में प्रयुक्त 02 अदद डीसीएम बरामद।

जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों के धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम दिनांक 06.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना मुंशीगंज मय हमराह व प्रभारी स्वाट/सर्विलांस टीम अमेठी मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 77/24 धारा 379 भादवि थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी से संबंधित अभियुक्तों की तलाश व देखभाल क्षेत्र के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम टिकरी के पास एक डीसीएम खडी है जिसमें पाइप लदी है उक्त सूचना पर मौके पर पहुंच कर देखा गया तो टिकरी के पास डीसीएम संख्या एचआर 37 ई 3691 खडी मिली जिसमे 02 व्यक्ति बाहर व 03 व्यक्ति गाडी के अन्दर बैठे हुए है। उक्त संदिग्ध व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम 1.रिंकू कन्नौजिया पुत्र राजकुमार निवासी पूरे दीवान थाना रौनाही जनपद अयोध्या उम्र 30 वर्ष 2. अजीत सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह निवासी ग्राम सेहरी थाना कुडेभार जनपद सुलतानपुर उम्र 35 वर्ष बताया 3. राजेन्द्र जायसवाल पुत्र मंगूर राम जायसवाल निवासी ग्राम शिवगंज थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र 50 वर्ष 4. इरशाद पुत्र इस्लाम अली नि. गोंच थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद उम्र 28 वर्ष 5. धर्मेन्द्र दूबे पुत्र स्व0 सोहिल दूबे निवासी ग्राम सुगही तिवारी टोला थाना रविन्द्र नगर जनपद कुशीनगर उम्र 30 वर्ष बताया। तलाशी से अभियुक्त रिंकू सिंह के कब्जे से 01 तमंचा 03 कारतूस 12 बोर व अभियुक्त इरशाद के कब्जे से 01 तमंचा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। वाहन डीसीएम व उसमे लदे पाइप से संबंध में पूछने अभियुक्तों ने बताया कि हम लोग दिनाँक 29/30.03.2024 को रात्रि में ग्राम मनीरामपुर के पास खेतों मे पड़ें जल निगम के ठेकेदार की पाइपों को अपने साथियों 1.अजीत सिंह 2.राजेन्द्र जायसवाल 3. इरशाद (चालक टाटा डीसीएम सं0 यू0पी0 83 सीटी 7650) व 4.धर्मेन्द्र दूबे (दूसरी टाटा डीसीएम नम्बर HR 37 E3691 के ड्राइवर) के साथ मिलकर चोरी करके पाइपों को इन्हीं दोनों गाडियों में लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर फर्जी कम्पनी के नाम पर रजिस्टर्ड कम्प्यूटराईज टाईप शुदा जीएसटी नम्बर का कूटरचित बिल बनाकर चोरी किए हुए पाइपों को बेंच देते हैं और बेंचने के बाद जो पैसे मिलते थे उसको हम लोग आपस में बाट लेते थे। दिनांक 29/30.03.2024 की रात्रि में हम सभी लोग योजना बनाकर टाटा डीसीएम यू.पी. 83 सीटी 7650 से मजदूरों को किराये पर बुलाकर जल निगम की पाइप बताकर और अपने आप को जल निगम का ठेकेदार बताकर चोरी से लदवा लिया था उसके बाद अपनी दूसरी टाटा डीसीएम नम्बर HR 37 E3691 पर लादकर बेचने के लिए भेज दिया था। कारण गिरफ्तारी बताते हुए पांचो अभियुक्तों मौके से समय करीब 02.50 बजे रात्रि में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त दूसरी डीसीएम संख्या यूपी 83 सीटी 7650 धम्मौर से लगभग 02 कि0मी0 दूर सुलतानपुर रोड के पास से बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबन्ध में थाना मुंशीगंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. रिंकू कन्नौजिया पुत्र राजकुमार निवासी पूरे दीवान थाना रौनाही जनपद अयोध्या उम्र 30 वर्ष।
2. अजीत सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह निवासी ग्राम सेहरी थाना कुडेभार जनपद सुलतानपुर उम्र 35 वर्ष।
3. राजेन्द्र जायसवाल पुत्र मंगूर राम जायसवाल निवासी ग्राम शिवगंज थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी उम्र 50 वर्ष।
4. इरशाद पुत्र इस्लाम अली नि. गोंच थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद उम्र 28 वर्ष।
5. धर्मेन्द्र दूबे पुत्र स्व0 सोहिल दूबे निवासी ग्राम सुगही तिवारी टोला थाना रविन्द्र नगर जनपद कुशीनगर उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी-

1. 02 अदद टाटा डीसीएम घटना में प्रयुक्त।
2. चोरी की पाइप 40 अदद कास्ट आयरन। (कीमत लगभग 10 लाख रुपये)
3. 01 अदद तमंचा 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
4. 01 अदद तमंचा 03 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।
5. 02 अदद कूटरचित कम्प्यूटराइज फर्जी बिल।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही -

1. मु0अ0सं0 77/24 धारा 379,411,413,419,420,467,468,471,34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मुंशीगंज जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना मुंशीगंज-

1.प्र0नि0 शिव नारायण सिंह, 2.उ0नि0 ओंकारनाथ सिंह, 3.उ0नि0 संजय सिंह, 4.उ0नि0 महेन्द्र सरोज, 5.हे0का0 धीरेन्द्र कुमार,6.का0 कृष्णवीर चाहर, का0 मनीष कुमार पाल।

स्वाट टीम अमेठी-

1. उ0नि0 अखिलेश गुप्ता प्रभारी स्वाट टीम, 2.उ0नि0 उमेश कुमार मिश्रा प्रभारी सर्विलास सेल 3.हे0का0 मतलूब अहमद, 4.का0 पवनेश कुमार यादव 5.का0 मनीष कुमार

अपराधिक इतिहास – अभियुक्त इरशाद

- मु0अ0सं0 309/1 धारा 379,304ए,427 भादवि थाना फिरोजाबाद साउथ जनपद फिरोजाबाद।